न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

बोदूराम .... बनाम .... तहसीलदार, सीकर ग्रामीण

पु.नं. 413 वर्ष 2025

विषय प्रकरण .... धारा 136 एल आर

दिनांक	आदेश - पत्र
29/9/2025	प्रार्थी बोदूराम पुत्र हीरा राम जाति जाट निवासी ग्राम रामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का पुरा बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 4 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पिता के नाम की प्रविष्टि हीरा पुत्र खेमा दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के पिता के नाम की सही प्रविष्टि हीराराम पुत्र खींवा राम है। प्रार्थी व उसके पिता के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थी के पिता के नाम की प्रविष्टि हीराराम पुत्र खींवा राम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पिता के नाम की प्रविष्टि हीरा पुत्र खेमा के स्थान पर हीराराम पुत्र खींवा राम दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./25/3157 दिनांक 09.09.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का पुरा बड़ी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 4 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के पिता के नाम की प्रविष्टि हीरा पुत्र खेमा के स्थान पर हीराराम पुत्र खींवा राम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./25/3157 दिनांक 09.09.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:11:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner